रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-01082022-237793 CG-MH-E-01082022-237793

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379] No. 379] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2022/श्रावण 10, 1944 NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2022/SHRAVANA 10, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 1 अगस्त, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2022

- सं. सेबी/आईएडी-एनआरओ/जीएन/2022/91.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-
- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा ।
- 2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- 3. भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 में, -
 - (I) शब्दों तथा चिह्नों "पदाभिहित सदस्य (डेसिग्नेटेड मेम्बर)", जहाँ कहीं भी वे दिए हुए हों, के स्थान पर शब्द "सक्षम प्राधिकारी" आ जाएंगे, और शब्दों "पदाभिहित सदस्य", जहाँ कहीं भी वे दिए हुए हों, के स्थान पर शब्द "सक्षम प्राधिकारी" आ जाएंगे;
 - (II) विनियम 22 में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,
 - "(ग) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य या वह अधिकारी जो मुख्य महाप्रबंधक के ओहदे से नीचे का न हो, जिसे बोर्ड द्वारा इस प्रयोजनार्थ पदाभिहित किया गया हो;";

5205 GI/2022 (1)

(III) विनियम 24 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्, –

"(1) बोर्ड विनियम 23 के अनुसार की गई किसी चूक के संबंध में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाहियाँ शुरू करने की मंजूरी दे सकेगा, जिसे अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो।"

माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष [विज्ञापन-III/4/असा./203/2022-23]

पाद टिप्पण:

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2008/11/126538 द्वारा 26 मई, 2008 को भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 तत्पश्चात् :-
 - क) 11 अगस्त, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/20/134766, द्वारा
 - ख) 14 **जुलाई**, 2009 **को** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/12/169546, द्वारा
 - ग) 7 जनवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12, द्वारा
 - घ) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/006, द्वारा
 - ङ) 21 नवम्बर, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/021, द्वारा
 - च) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसुचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
 - छ) 21 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/07, द्वारा
 - ज) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/20, द्वारा
 - झ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
 - ञ) 17 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/59, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 1st August, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INTERMEDIARIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No **SEBI/LAD-NRO/GN/2022/91.**—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, namely: —

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2022.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, -
 - (I) for the words "designated member", wherever occurring, the words "competent authority" shall be substituted;
 - (II) in regulation 22, clause (c) shall be substituted by the following, namely, -
 - "(c) "competent authority" means a Whole Time Member or an officer of the Board, not below the rank of a Chief General Manager, as may be designated for the purpose by the Board;";
 - (III) in regulation 24, sub-regulation (1) shall be substituted by the following, namely, -
 - "(1) The Board may approve the initiation of proceedings for any default of the nature specified in regulation 23 against any person who has been granted a certificate of registration under the Act and regulations made thereunder."

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./203/2022-23]

Footnote:

- The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on May 26, 2008 vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538.
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was subsequently amended on:
 - a) August 11, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2008, vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/20/134766.
 - b) July 14, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2009, vide notification no. LAD-NRO/GN/2009-10/12/169546.
 - c) January 7, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, vide notification no. LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.
 - d) May 25, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/006.
 - e) November 21, 2017, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2017, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/021.
 - f) April 17, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - g) January 21, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/07.
 - h) May 5, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/20.
 - i) August 3, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - j) November 17, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/59.